रजिस्ट्री सं डी (डी एन)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 1989/वैशाख 26, 1911
No. 257] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 1989/CHAITRA 26, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 1989

सा.का.नि. 550 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के उपबन्ध उस सरकारी कम्पनी को, जो औद्योगिक परियोजनाओं के वित्त पोषण के कारबार में लगी हुई है और आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 36(1) (viii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है, उस विस्तार तक, जहां तक वह ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज से आय से संबंधित है, लागू नहीं होंगे, परन्तु यह तब जब कि ऐसी प्रोद्भूत

आय, जिसका लेखा-बहियों मे हिसाब नही दिया गया है, वार्षिक लेखा मे टिप्पण के रूप में प्रकट की गई हो । इस अधिसूचना की एक प्रति पत्रक के रूप मे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 620 की उपधारा (2) में अपेक्षित है ।

[फा.स 1/5/88 सीएल V]
वी. पी गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 1989

G. S. R. 550 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that the provisions of clause (b) of sub-section (3) of section 209 of the said Act shall not apply to a Government company engaged in the business of financing industrial projects and approved by the Central Government under section 36 (1) (viii) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), to the extent it relates to income from interest on loans and advances, provided that such accrued income, which is not accounted for in the books of accounts, is disclosed by way of note in the annual accounts, a copy of this notification having been laid in draft before both the Houses of Parliament as required by sub-section (2) of section 620 of the said Act.

[File No. 1|5|88-CL. V]
V. P. GUPTA, Jt Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989